

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 3/12/2025

दायर दिनांक:- 14/05/2025

जीसीएमएस नं0:-2025/223

निर्णय दिनांक:- 27/10/2025

बउनवान

1. मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह जाति मीना निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर।

--- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम धारा- 1956

उपस्थिति:-1.श्री बनैसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

:-आदेश:-

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 766, का 1/84 वाके ग्राम अरूवा व आराजी खसरा नम्बर 84, 96, का 1/63 हिस्सा, वाके ग्राम रेला व अराजी खसरा नम्बर 703, का 1/24 हिस्सा, 631 का 1/44 हिस्सा, 1259, 1260, 1261, 1262, 630, का 1/72 हिस्सा, 15/1979 का 1/72 हिस्सा, 1643, 1731, 1732, 1733, का 1/216 हिस्सा, 1269, 629, का 1/36 हिस्सा, 1641, 1642, का 23/1080 हिस्सा, 1263, 1270, का 2/135 हिस्सा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता छुट्टनसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मनीषा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

पुत्री छुट्टनसिंह जाति मीना निवासी रेला है प्रार्थी के पिता छुट्टन के स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी किये बिना ही बिना सुने बिना बुलाये बिना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरुद्ध तरीके से मनीषा के स्थान पर मन्नी दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह ही दर्ज होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी पर प्रार्थीया का नाम मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह के स्थान पर मन्नी गलत दर्ज कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर तहसील कटूमर पर प्रार्थीया मन्नी के स्थान पर मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कटूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जामबन्दी हाल, नकल इन्तकाल, नकल फॉटो प्रति जनअधार, नकल फोटो प्रति राशनकार्ड, नकल फोटो प्रति मा0शि0 बोर्ड मार्कशीट, नकल फोटो प्रति आधार कार्ड, संरपच ग्राम पंचायत के लैटर पैड, आदि दस्तावेज पेश किये गये जो जो शामिल मिसल किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का नाम मन्नी के स्थान पर मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह है। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (खसरा) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीया का नाम मन्नी के स्थान पर मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरुस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 766, का 1/84 वाके ग्राम अरूवा व आराजी खसरा नम्बर 84, 96, का 1/63 हिस्सा, वाके ग्राम रेला व अराजी खसरा नम्बर 703, का 1/24 हिस्सा, 631 का 1/44 हिस्सा, 1259, 1260, 1261, 1262, 630, का 1/72 हिस्सा, 15/1979 का 1/72 हिस्सा, 1643, 1731, 1732, 1733, का 1/216 हिस्सा, 1269, 629, का 1/36 हिस्सा, 1641, 1642, का 23/1080 हिस्सा, 1263, 1270, का 2/135 हिस्सा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में प्रार्थी का नाम मन्नी के स्थान पर मनीषा पुत्री छुट्टनसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)